167

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4130–दो/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–11–2015 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर – प्रकरण क्रमांक 149 अ–27/2014–15 अपील

विजयकुमार जैन पुत्र प्रेमचंद जैन
निवासी पन्ना नाका छतरपुर
तहसील छतरपुर जिला छतरपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती पार्वती पुत्री बिन्दा काछी
2– हीरावाई पुत्री बिन्दा काछी
3– हीरा पुत्र मथुरा काछी
ग्राम नरसिंगढ़ पुरवा तहसील
व जिला छतरपुर मध्य प्रदेश
4– श्रीमती काशीवाई पुत्री दयाचन्द पाण्डे
5– श्रीमती उषा पुत्री नाथूराम पाण्डे
दोनों निवासी विजावर तहसील
विजावर जिला छतरपुर म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक एम0पी0भटनागर)

आ दे श

(आज दिनांक 24 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 149–अ–27/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–11–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव अनावेदकगण के नाम ग्राम बगौता में खाता क्रमांक 224 , खाता क्रमांक 23, खाता क्रमांक 333 पर भूमि धारित है। तहसीलदार छतरपुर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 218 पर आदेश दिनांक 12-3-2007 से सह-खातादारों के बीच बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 149/अ-27/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-11-2015 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन् करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर देखना है कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 149-अ-27/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-11-2015 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में त्रृटि की है अथवा नहीं ? तहसीलदार छतरपुर व्दारा नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 218 पर आदेश दिनांक 12-3-2007 से किये गये बटवारे के विरूद्ध श्रीमती पार्वती पुत्री बिन्दा काछी ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 25-5-15 को इस आधार पर अपील प्रस्तुत की है कि महिला पार्वती एंव हीरा पुत्र मथुरा काछी के फर्जी हस्ताक्षर एंव निशानी अॅगूठा फर्जी करके बटवारा कराया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28-11-15 से अपील

प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963-धारा-5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है - उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।**
2. **परिसीमा अधिनियम 1963-धारा-5 एंव भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-47 - सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।**

उक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने आदेश दि0 28-11-15 से अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा करने में त्रृटि नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 149-अ-27/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-2015 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार का जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर